

National University of Educational Planning and Administration
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA)

न्यूपा (NUEPA) →: NUEPA शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत का ही नहीं अफिर, दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किसे जा रहे मार्गों को देखते हुए भारत सरकार ने इसे अगस्त 2006 में इसका उत्तराधिकारी मानव विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है।

उत्तराध्य में NUEPA की स्थापना 1962 ई० में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजना मारो, प्रशासकी और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को (UNESCO) केन्द्र के रूप में की गयी थी जिसे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया। इसके 4 वर्ष बाद अर्थात् 1969 ई० में भारत सरकार ने इसका इसका आविर्गठन कर लिया और इसका नाम 'राष्ट्रीय शैक्षिक योजना मार एवं प्रशासन कालेज' रख दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना मार एवं प्रशासन कालेज की बढ़ती भूमिकाओं और कार्य कलाओं विशेषकर क्षमता विकास, शोध और स्तरकारी मो की जा रही व्यवसायिक संशोधनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 ई० में पुनः इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशिक्षण संस्थान (न्यूपा - NUEPA) कर दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) में 10 विभाग हैं। इनमें प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय संकाय है। इसमें विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत समृद्ध है। इसमें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से सम्बंधित महत्वपूर्ण

पुरतरे राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय जर्नल और सरकारी वरचावेज उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय अपने बहुआयामी गति-विधियों के अलावा शिक्षा नीति योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अंतर-राष्ट्रीय समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एम. फिल., पीएच.डी. और अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम भी संचालित करता है।

ग्रुप के शोध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोणों से शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकारों को शामिल किया जाता है।

Central Advisory Board of Education (CABE) (केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड) (सी. ए. बी. ई.)

शिक्षा का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है। यह विचार की शिक्षा का एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, इसका समर्थन सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-19) ने किया। इस प्रकार इस बोर्ड की स्थापना सन 1920 ई. में हुई लेकिन किन्ही कारणों से सन 1923 ई. में इसे भंग कर दिया गया (किन्ही कारण)।

संकेत के अगले बारह वर्षों तक, भारत सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देने एवं शैक्षिक ढाँचे को विकसित करने की सुझाव देने के लिए कोई बोर्ड अथवा निकाय नहीं था। हालाँकि, बोर्ड के बंद होने पर अकस्मिक ही आवाज बढ़ने लगी, और अन्ततः सन 1935 ई. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की पुनः स्थापना की गयी।

चूंकि यह बोर्ड केन्द्र एवं राज्यों सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार स्वीकृत

सलाहकार निष्कास है।

बोर्ड के उद्देश्य :- इसके उद्देश्य निम्नवत् हैं-

- (1) पाठ्यक्रम तैयार करने में देश के सभी शिक्षण संस्थानों को सुझान देना।
- (2) शैक्षिक मामलों में सुधार के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए राज्य एवं केन्द्र के लिए एक साझा मंच तैयार करना।
- (3) किसी भी प्रकार के शैक्षिक प्रश्न के बारे में राज्य एवं केन्द्र सरकारों को सलाह देना।
- (4) विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए समितियों की नियुक्ति करें।
- (5) शिक्षा से संबंधित मामलों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों से विशेषज्ञ समीक्षा और जानकारी व सुझाव मांगना।

बोर्ड के कार्य :- मुख्य रूप से बोर्ड के कार्य [Functions of Board] इस प्रकार हैं। -

- (1) बोर्ड समय-समय पर शैक्षिक मामलों की प्रगति की समीक्षा करता है।
- (2) राज्य व केन्द्र सरकारों द्वारा लागू की गयी शैक्षिक नीतियों का मूल्यांकन करता है।
- (3) केन्द्र व राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास की बेहदारी के लिए विभिन्न गैर-सरकारी और सरकारी एजेंसियों के सहन-व्यय के बारे में सलाह देता है।

शैक्षिक नियोजन

Educational Planning

परिचय (Introduction) :- नियोजन के सभी कार्यो में उत्तम निष्पादन (Performance) की सम्भावना निहित है। शिक्षा में नियोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण किया है क्योंकि यह शिक्षा में परिसमाप्तात्मक एवं गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों का आधार प्रदान करती है। ऐसा केवल नियोजन की तकनीकी एवं उपागमों को अपनाकर ही किया जा सकता है।

अर्थ (Meaning) :- अन्तराष्ट्रीय शब्दकोष ने "नियोजन को योजनाओं को बनाने, क्रियान्वयन के कार्य के रूप में परिभाषित किया है।" यह किन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के 'क्या', 'क्यों', तथा 'कैसे' पर फोकस करता है। अतः नियोजन का अर्थ है अधिकतम कार्यकारी विकल्पों का मूल्यांकन तथा उसके पर कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। नियोजन में विकल्पों में से चयन किया जाता है।

नियोजन की आवश्यकता (The Need of Planning) :-

1. नियोजन उद्यम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। (Planning is necessary to ensure success of the enterprise)
2. दक्ष एवं प्रभावशाली नियोजन के द्वारा समय, प्रयास एवं धन की बचत होती है। (Efficient and Effective Planning saves time, effort and money)
3. नियोजन समस्या समाधान की उत्तम विधि है। (Planning is a good method of solving problems)
4. नियोजन की आवश्यकता दो मुख्य कारणों से है।
(The need for Planning arises from two basic reasons)
5. नियोजन समय के साथ चलने के लिए आवश्यक है।
(Planning is necessary to keep pace with the time)

भारत में शैक्षिक नियोजन [Educational Planning in India]
 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम प्रयास नियोजन के लिए 1854 ई० में हुआ था जब चार्ल्स फुड के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र ने भारत में नियोजित शिक्षा का प्रारम्भ किया। कुछ शिक्षा शास्त्री भारत में नियोजन की अवधारणा का कर्तृत्व प्रारम्भ 1938 से मानते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की नियुक्ति की। इस समिति में सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि, राज्यमंत्री, चुने हुये उच्चशिक्षा, शिक्षाशास्त्री, जन प्रतिनिधि एवं सरकार द्वारा मनौ नीत सदस्य थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार में नियोजन एवं विकास विभाग बनाया गया जिसका कार्य उपयुक्त विकास के क्षेत्र में सुझाव देना था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। एक नियोजन समिति (Planning Commission) का निर्माण किया। समिति तब से अनेक पंचवर्षीय योजनाएँ, वार्षिक योजनाएँ तथा शौलिंग योजना (1978-83) तैयार करने में व्यस्त रही। इस नियोजन समिति की स्थापना से भारत में नियोजन एक स्थापित किया बन चुकी है। समिति के शिक्षा विभाग की अध्यक्षता शिक्षा प्रमुख के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में योजना विकास के लिए एक अलग विभाग होता है जिसकी अध्यक्षता एक सचिव के द्वारा की जाती है। जो कि एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (I.A.S.) होता है।

शैक्षिक नियोजन के सिद्धान्त (Principles of Educational Planning)

शैक्षिक नियोजन के सिद्धान्तों को लेकर जो मुख्य विचार विभिन्न लेखकों व शिक्षाशास्त्रियों द्वारा दिये गये हैं उनमें से हम यहाँ पर दो विद्वानों के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

इलियट एण्ड मॉसिथर (Elliot and Mosier, 1945):- इन्होंने

शैक्षिक नियोजन के निम्न सिद्धान्त दिये हैं।

1. शैक्षिक नियोजन सामान्य राष्ट्रीय नियोजन का एक पक्ष होना चाहिए।

2. नियोजन में शोध को आधार के रूप में लेना चाहिए।
3. नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए।
4. शैक्षिक संस्थान में नियोजन का एक निश्चित स्थान होना चाहिए।
5. नियोजन वास्तविक व व्यावहारिक होना चाहिए।
6. नियोजन में स्वयं लेने वाले सभी व्यक्तियों एवं समूहों की क्रियाशील एवं निरंतर सहभागिता होनी चाहिए।
7. नियोजन में निरंतर मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए।
8. नियोजन में भावी कार्यों में परिवर्तन लाने के अनुसार होने चाहिए।
9. नियोजन में विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। लेकिन उनमें उनका प्रभुत्व नहीं होना चाहिए।
10. नियोजन में सभी व्यक्तियों एवं समूहों को अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे योजनाओं को समझ सकें तथा उनकी प्रशंसा कर सकें।

जैसी बी. सीजर्स (Jesse B. Sears, 1950) :- मैं नियोजन पर विचार करते

समय निम्नलिखित सिद्धान्तों पर बल दिया।

1. नियोजन की ऐसी प्रक्रिया को प्रारम्भ करना जिसमें सात्ता, ज्ञान, व्यक्तित्व स्वयं सामाजिक बल शामिल हों।
2. उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि नियोजन लक्ष्य प्राप्ति का साधन है।
3. योजनाएं तैयार करना, जिसमें उनकार्यों को वास्तविक एवं क्रियाशील रूप में रखा जाना है जो कि उनके विकल्पों को समझने के बाद किये जाते हैं।
4. वर्तमान तथ्यों का अध्ययन जिसमें उन बातों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण आता है जिनका नियोजन की प्रक्रिया में देखा जाना है।
5. कुछ अन्य कारक जिनका ध्यान रखा जाना है जैसे योजना निर्माताओं का चुनाव, नियोजन मशीनरी का निर्माण (समितियाँ) तथा नियोजन सेवा का अनुरक्षण।

(17)

शैक्षिक नियोजन के उपागम (Approaches of Educational Planning)

शैक्षिक नियोजन एक प्रकार का केन्द्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युक्ति निगमन है। इसमें लक्ष्यों का निर्धारण, धारणाओं बनाना, विकल्पों को खोज तथा उनमें वरीयता पर आधारित एक व्यापक योजना तैयार करना शामिल है। यह दृष्टिकोण जो केन्द्रीय विन्दु का निर्माण करता है, जिसके लिए कि नियोजन किया जाता है, नियोजन के लिए एक विशिष्ट मॉडल या उपागम प्रदान करता है। शैक्षिक नियोजन के वैसे ही बहुत से मॉडल हैं किन्तु उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं:-

(1) मानव शक्ति उपागम या मॉडल (Manpower Approach):-

नियोजन का यह मॉडल 'मानव संसाधन विकास' के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल का तात्पर्य यह है कि सामाजिक व्यवस्था को अपनी दक्षता के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस धारणा के अनुसार

(18)

मानव शक्ति की मांग परिवर्तनीय है, और तकनीकी, आर्थिक व सामाजिक विकास के साथ बदलती रहती है। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विकास मानव संसाधन के विकास के रूप में जाने जाते हैं।

इस मांग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऐसे शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की जैसे - इन्जिनियर, इंजीनियर, अध्यापक, स्लैमर तथा परामर्शदाता आदि को तैयार किया जाना चाहिए, जिनकी देश में विभिन्न क्षेत्रों में लिए मांग है। इनकी मांग से कम तथा अधिक संख्या में तैयार करना नियोजन की असफलता कही जायेगी। शिक्षा में नियोजन का यह मॉडल तब उत्तम और महत्वपूर्ण हो जाता है जब शिक्षा को राष्ट्र के आर्थिक विकास का एक माध्यम (तत्व) माना जाता है।

भौतिक साधनों में निहित उत्पादन के बारे में नये विचार, नई तकनीक, एवं नया ज्ञान उस दर को निर्धारित करता है जिस पर राष्ट्र की पूरी अर्थव्यवस्था उन्नत हो सकती है। यही शिक्षा का भोगदान है। इस उपागम की धारणा है कि यह राष्ट्र की वृद्धि में सकारात्मक रूप से भोगदान देती है। अतः शिक्षा को कोशल-प्रकट (Skill-intensive) तथा आवश्यकता पर आधारित (need based) माना जाता है।

(2) सामाजिक मांग उपागम (Social demand Model)

विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रयास करने, उसमें रुकने, रुकने, तथा आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या समाज की शिक्षा के लिए सामाजिक मांग को प्रकट करती है। शिक्षा के लिए सामाजिक मांग मानवशक्ति आवश्यकता की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। तथा कुछ अवसरों पर शिक्षित बेरोजगारी से बढ़ती है।